रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2016/कार्तिक 26, 1938
No. 798] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016/KARTIKA 26, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1075(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

1. कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची-2 में, भाग 'क' के अधीन पैरा 3 के उप पैरा (ii) में "(ii) अमूर्त के लिए" से आरंभ और "लागू होंगे" पर समाप्त होने वाले कोष्ठकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्;-

"(ii) अमूर्त आस्तियों के लिए सुसंगत भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) लागू होंगे। जहां किसी कंपनी के लिए भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) का अनुपालन करना अपेक्षित नहीं है वहां वह कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अधीन सुसंगत लेखा मानकों का अनुपालन करेगी।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए लागू होगी।

[फा. सं. 17/60/2012-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 तारीख 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त की गई और उसका तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. संख्या 237(अ) और तारीख 29 अगस्त, 2014 की सा.का.नि. 627(अ) द्वारा (1 अप्रैल, 2014 से) संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2016

G.S.R. 1075(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments to amend Schedule II to the said Act, namely:-

1. In the Companies Act, 2013, in Schedule II, under Part 'A', in para 3, in sub-paragraph (ii), for the brackets, letters and words starting with "(ii) For intangible" and ending with the words "force shall apply", the following brackets, letters and words shall be substituted, namely:-

> "(ii) For intangible assets, the relevant Indian Accounting Standards (Ind AS) shall apply. Where a company is not required to comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS), it shall comply with relevant Accounting Standards under Companies (Accounting Standards) Rules, 2006."

2. This notification shall be applicable for accounting period commencing on or after 01st April, 2016.

[F. No. 17/60/2012-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt Secy.

Note : Schedule II of the Companies Act, 2013 came into force with effect from 1st April, 2014 and was amended (with effect from 1st April, 2014) vide notification number G.S.R. 237(E), dated the 31st March, 2014 and G.S.R. 627(E), dated the 29th August, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.18 11:45:01 +05'30'